न्यायालय/कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली।

संख्या : 01 वर्ष 2019, **दिनांक : 31.01.2019**

आदेश

माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 55/UHC/ Admin.A/2019, Dated : January 21, 2019 के द्वारा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली के पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग थराली हो गया है, जिस कारण वर्तमान में न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली का न्यायालय रिक्त हो गया है। इस सन्दर्भ में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चमोली से अनुमति एवं विचार–विमर्श के उपरान्त आपराधिक न्याय प्रशासन को सुचारू से चलाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 15(2) एवं धारा 410 आदि में वर्णित विधिक उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए जिला चमोली में स्थित मजिस्ट्रेट न्यायालयों के दाण्डिक मामलों के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित पूर्व में पारित आदेशों को संशोधित करते हुए मजिस्ट्रेट न्यायालयों के जॉच/विचारण/न्यायनिर्णयन आदि के क्षेत्राधिकार के सन्दर्भ में अन्यथा अग्रिम आदेश पारित किये जाने तक निम्न नियम/व्यवस्था की जाती है :

1. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली को अपराधों/मामलों के संज्ञान/जॉच/विचारण/न्यायनिर्णयन आदि का निम्नवत क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा :–

पुलिस थाना गोपेश्वर, पुलिस थाना चमोली, राजस्व पुलिस क्षेत्र, तहसील चमोली, तहसील घाट (विकास नगर) व तहसील नन्दप्रयाग से सम्बन्धित समस्त पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले एवं ऐसे विशेष अधिनियमों/विधियों से सम्बन्धित परिवाद/प्रार्थना पत्र आदि, जिनकी सुनवाई का अनन्यतः क्षेत्राधिकार किसी अधिनियम/विधि द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली को प्रदत्त है)।

2. न्यायालय सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग को अपराधों/मामलों के संज्ञान/जॉच/विचारण/न्यायनिर्णयन आदि का निम्नवत क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा :–

(1) पुलिस थाना कर्णप्रयाग, राजस्व पुलिस क्षेत्र, तहसील कर्णप्रयाग के भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से सम्बन्धित पुलिस रिपोर्ट एवं परिवाद पर संस्थित समस्त मामले।

(2) समय–समय पर स्थानान्तरण से प्राप्त होने वाले मामले।

(3) पुलिस थाना कर्णप्रयाग, राजस्व पुलिस क्षेत्र, तहसील कर्णप्रयाग से सम्बन्धित परिवाद अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र/परिवाद तथा अन्य विशेष अधिनियमों/विधियों के अन्तर्गत संस्थित मामलें (उन मामलों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का अनन्यतः क्षेत्राधिकार किसी अधिनियम/विधि द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली को प्रदत्त है)।

3. न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग गोपेश्वर को अपराधों/मामलों के संज्ञान/जॉच/विचारण/न्यायनिर्णयन आदि का निम्नवत क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा :–

(1) पुलिस थाना गोपेश्वर, पुलिस थाना चमोली, राजस्व पुलिस क्षेत्र, तहसील चमोली, तहसील घाट (विकास नगर) व तहसील नन्दप्रयाग से सम्बन्धित भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत संस्थित किये जाने वाले समस्त परिवाद पर आधारित मामले।

(2) समय–समय पर स्थानान्तरण से प्राप्त होने वाले मामले।

(3) पुलिस थाना गोपेश्वर, पुलिस थाना चमोली एवं राजस्व पुलिस क्षेत्र, तहसील चमोली, तहसील घाट (विकास नगर) व तहसील नन्द्रप्रयाग से सम्बन्धित परिवाद

अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र/परिवाद तथा अन्य विशेष अधिनियमों/विधियों के अन्तर्गत संस्थित परिवाद पर आधारित मामले (उन दाण्डिक मामलों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का अनन्यतः क्षेत्राधिकार किसी अधिनियम/विधि द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली को प्रदत्त है)।

4. न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग जोशीमठ को अपराधों/मामलों के संज्ञान/जॉच/विचारण/न्यायनिर्णयन आदि का निम्नवत क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा :–

(1) पुलिस थाना जोशीमठ, श्री बद्रीनाथ व गोविन्द घाट एवं राजस्व पुलिस क्षेत्र, तहसील जोशीमठ के भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से सम्बन्धित समस्त पुलिस रिपोर्ट एवं परिवाद पर आधारित मामले।

(2) समय–समय पर स्थानान्तरण से प्राप्त होने वाले मामले।

(3) पुलिस थाना जोशीमठ, श्री बद्रीनाथ व गोविन्द घाट एवं राजस्व पुलिस क्षेत्र, तहसील जोशीमठ से सम्बन्धित परिवाद अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र/परिवाद तथा अन्य विशेष अधिनियमों/विधियों के अन्तर्गत संस्थित परिवाद पर आधारित मामले (उन दाण्डिक मामलों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का अनन्यतः क्षेत्राधिकार किसी अधिनियम/विधि द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली को प्रदत्त है)।

5. न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग पोखरी, को मामलों के संज्ञान/जॉच/विचारण/न्यायनिर्णयन आदि का निम्नवत क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा :–

(1) पुलिस थाना पोखरी एवं राजस्व पुलिस क्षेत्र, तहसील पोखरी एवं तहसील जिलासू के भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से सम्बन्धित समस्त पुलिस रिपोर्ट एवं परिवाद पर संस्थित समस्त मामले।

(2) समय–समय पर स्थानान्तरण से प्राप्त होने वाले मामले।

(3) पुलिस थाना पोखरी एवं राजस्व पुलिस क्षेत्र, तहसील पोखरी एवं तहसील जिलासू से सम्बन्धित परिवाद अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र/परिवाद तथा अन्य विशेष अधिनियमों/विधियों के अन्तर्गत संस्थित परिवाद पर आधारित मामले (उन दाण्डिक मामलों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का अनन्यतः क्षेत्राधिकार किसी अधिनियम/विधि द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली को प्रदत्त है)।

6. न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग थराली को अपराधों/मामलों के संज्ञान/जॉच/विचारण/न्यायनिर्णयन आदि का निम्नवत क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा :–

(1) पुलिस थाना थराली, राजस्व पुलिस क्षेत्र, तहसील थराली, तहसील नारायणबगड़ व उप तहसील देवाल के भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से सम्बन्धित समस्त पुलिस रिपोर्ट एवं परिवाद पर संस्थित मामले।

(2) समय–समय पर स्थानान्तरण से प्राप्त होने वाले वाद।

(3) पुलिस थाना थराली, राजस्व पुलिस क्षेत्र, तहसील थराली, तहसील नारायणबगड़ व उप तहसील–देवाल से सम्बन्धित परिवाद अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र/परिवाद तथा अन्य विशेष अधिनियमों/विधियों के अन्तर्गत संस्थित परिवाद (उन दाण्डिक मामलों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का अनन्यतः क्षेत्राधिकार किसी अधिनियम/विधि द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली को प्रदत्त है।

7. न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग गैरसैण को अपराधों/मामलों के संज्ञान/जॉच/विचारण/न्यायनिर्णयन आदि का निम्नवत क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा :–

(1) पुलिस थाना गैरसैण, राजस्व पुलिस क्षेत्र, तहसील गैरसैण व तहसील आदिबद्री के भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से सम्बन्धित समस्त पुलिस रिपोर्ट एवं परिवाद पर संस्थित मामले।

(2) समय–समय पर स्थानान्तरण से प्राप्त होने वाले मामले।

(3) पुलिस थाना गैरसैण, राजस्व पुलिस क्षेत्र, तहसील गैरसैण व तहसील आदिबद्री से सम्बन्धित परिवाद अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रार्थना पत्र/परिवाद तथा अन्य विशेष अधिनियमों/विधियों के अन्तर्गत संस्थित परिवाद (उन दाण्डिक मामलों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का अनन्यतः क्षेत्राधिकार किसी अधिनियम/विधि द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली को प्रदत्त है)।

9. *वर्तमान में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली में लम्बित समस्त फौजदारी मामले तथा अन्य कार्यवाहियों की पत्रावलियां तथा अन्य सुसंगत दस्तावेज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली के न्यायालय को वापस लिया जाता है। सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि से यथाशीघ्र नियमानुसार सम्बन्धित प्रभारी पीठासीन अधिकारी के माध्यम से लम्बित सम्पूर्ण फौजदारी मामलों की पत्रावलियां तथा अन्य सुसंगत दस्तावेज न्यायालय/कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।*

10. *वर्तमान में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग कर्णप्रयाग का न्यायालय रिक्त है। पूर्व में पारित आदेश संख्या 10 वर्ष 2018 दिनांकित 26.09.2018 के द्वारा न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग कर्णप्रयाग के न्यायालय से समस्त दाण्डिक मामले की पत्रावलियां/अन्य सुसंगत दस्तावेज न्यायालय सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर्णप्रयाग के न्यायालय में अंतरित किये जा चुके है।*

11. *यह आदेश दिनांक 01.02.2019 से प्रभावी होगा।*

12. इस आदेश का प्रभाव न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली के अतिरिक्त अन्य सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में लम्बित मुकदमों पर नहीं होगा।

31.1.19
(अखिलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।

पत्रांक : 13/10/2019, दिनांक : गोपेश्वर : जनवरी 31, 2019,
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चमोली।
(2) जिला मजिस्ट्रेट, चमोली।
(3) सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग।
(4) पुलिस अधीक्षक, चमोली।
(5) सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग गोपेश्वर, जोशीमठ, पोखरी, कर्णप्रयाग, थराली, गैरसैण।
(6) न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली।
(7) ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, चमोली।
(8) अध्यक्ष, जिला बार संघ, चमोली–गोपेश्वर।
(9) अध्यक्ष, तहसील बार संघ, चमोली/जोशीमठ/पोखरी/कर्णप्रयाग/थराली/गैरसैण।
(10) सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय, चमोली।
(11) गार्ड फाईल।

31.1.19
(अखिलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।